



REET 2025

LEVEL-1&2



वंदन बैच POLITY

जिला प्रशासन

Part -2



LIVE

11-02-2025 07:00 PM

REET POLITY

पटवारी

- ब्रिटिश काल में सन् 1873 के राजस्व कानून के अधीन पटवारी के पद को सरकारी माना गया।
- स्वतंत्र भारत में 1963 में लम्बरदार पद के समाप्ति के बाद पटवारी पद का सृजन किया गया।
- राजस्व कार्यों के लिए एक तहसील को कुछ पटवार क्षेत्रों (सर्किल) में विभाजित किया जाता है। पटवार सर्किल की स्थापना एवं परिवर्तन राज्य सरकार की अनुमति से भू-लेख निदेशक नामक पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

REET POLITY

पटवारी के कार्य

- गांव की भू-सम्पत्ति से संबंधित विभिन्न अभिलेखों को रखने का दायित्व पटवारी का होता है।
↳ Recorded
- गांव का पटवारी गांव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है, खेतों का नाप रखता है, खेतों के नक्शे बनाता है।
- भूमि के मालिक का नाम व उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखता है।

REET POLITY

- ग्रामीण कृषकों एवं भूमि मालिकों की समस्याओं के समाधान हेतु पटवारी द्वारा विशिष्ट प्रशासनिक राजस्व अभियान संचालित किये जाते हैं।
- फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है जिसे गिरदावरी करना कहते हैं।
- इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे भू-राजस्व या लगान कहते हैं।

Land tax

REET POLITY

- पटवारी अपने पटवार क्षेत्र को सभी ग्रामों की भू-राजस्व, फसल, पशु धन, सिंचाई आदि से संबंधित सांख्यिकी का एकत्रण कर उन्हें जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व मंडल को संप्रेषित करता है।
- पटवारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के समय मतदान दलों की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करता है तथा ग्राम पंचायत की वित्त व कर समिति की कार्यवाहियों में मुख्य सहायक की भूमिका निभाता है।

नोट -

→ का. नू. न. ग. ११

तहसील स्तर पर गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) को पटवारी के कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है।

REET POLITY

न्याय व्यवस्था

□ नागरिकों में सामान्यतः तीन प्रकार के विवाद हो सकते हैं-

दीवानी विवाद-

□ सम्पत्ति (जमीन-जायदाद), चीजों की खरीददारी, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों का निपटारा दीवानी न्यायालय में होता है।

civil court

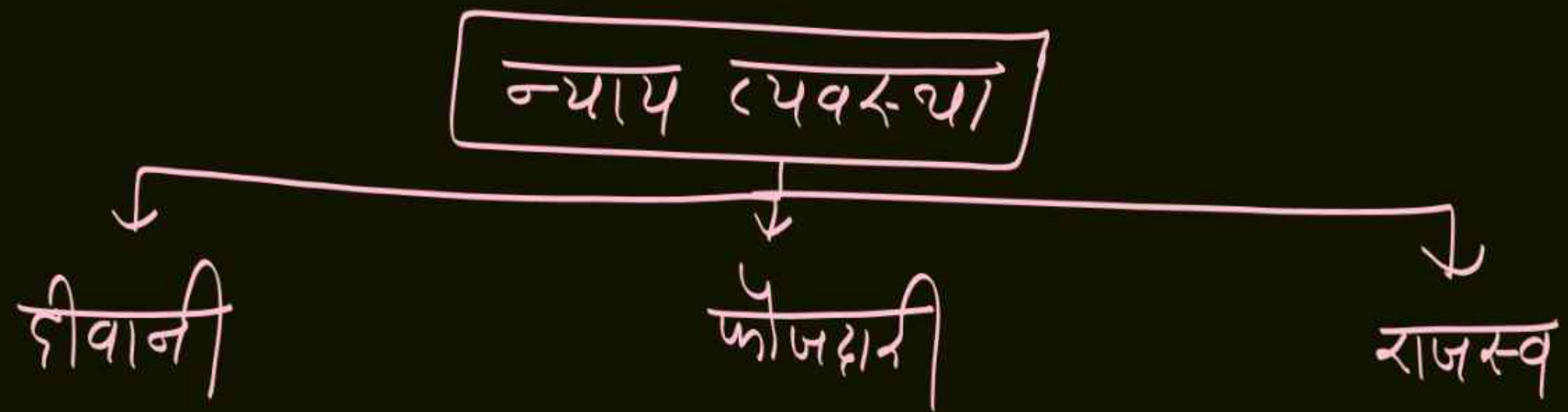
REET POLITY

फौजदारी विवाद - (criminal dispute)

- हत्या, मारपीट, चोरी तथा शान्ति-भंग करने से संबंधित विवाद फौजदारी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों की सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती है।

राजस्व विवाद -

- ✓/भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामान्तरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद आते हैं। ऐसे मामले क्षेत्राधिकार के अनुसार उप-तहसीलदार, तहसीलदार अथवा सहायक कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत होते हैं। जिले में अन्तिम रूप से अपीलों का निर्णय जिला कलेक्टर करता है।



REET POLITY

- जिले में मुख्यतः **तीन प्रकार के न्यायालय** कार्यरत होते हैं।

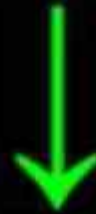
नागरिक विवाद

दीवानी विवाद
(सिविल मामले)



दीवानी न्यायालय

फौजदारी विवाद
(आपराधिक मामले)



फौजदारी न्यायालय

राजस्व विवाद
(राजस्व मामले)



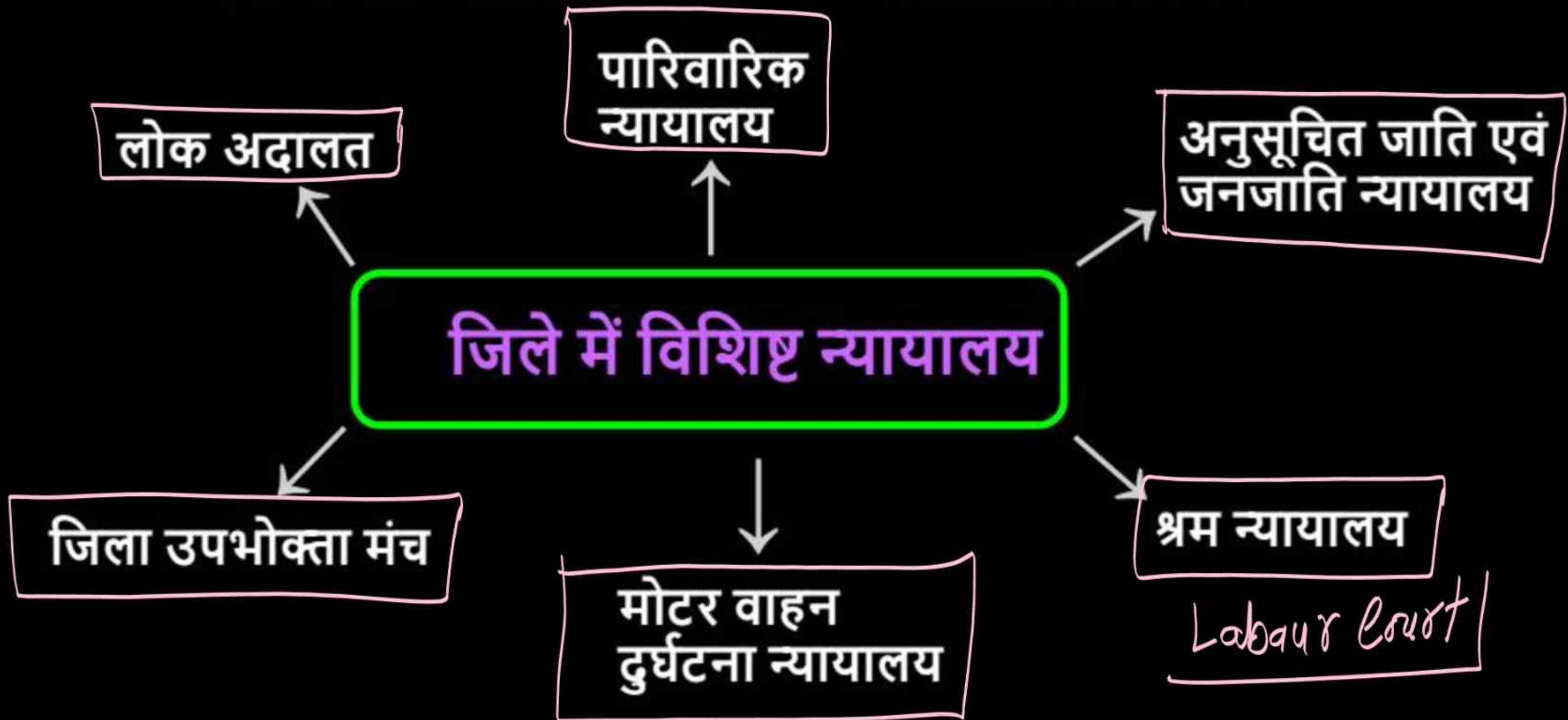
राजस्व न्यायालय

REET POLITY

फौजदारी न्यायालयों में कार्य प्रक्रिया

- फौजदारी मामलों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में सूचना देना जरूरी होता है, इसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) कहते हैं।
- इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर सबूत इकट्ठा करके न्यायालय में चालान प्रस्तुत करती है।
- न्यायालय सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अपना निर्णय देता है।

REET POLITY



REET POLITY

लोक अदालत

- न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है।
- प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है।

REET POLITY

विधिक सेवा प्राधिकरण-

- ✓ ☐ निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
- ✓ ☐ कानूनी साक्षरता फैलाना
- ✓ ☐ लोक अदालतों का आयोजन करना
- ✓ ☐ विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना
- ✓ ☐ अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना

REET POLITY

नोट-

- विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को
निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।

REET POLITY

	फौजदारी कानून		दीवानी कानून
1.	ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं <u>जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि।</u>	1.	इसका संबंध <u>व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है।</u>
2.	इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है।	2.	प्रभावित पक्ष की ओर से <u>न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है।</u>
3.	अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।	3.	अदालत राहत की व्यवस्था करती है।